

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग क्रमांक - २ बिलासपुर (छ.ग.)
(झूलेलाल मंदिर के पीछे चकरमाठा केम्प, बिलासपुर)
E-mail ID - ee.2bsp@rediffmail.com

ज्ञाप क्रमांक172...../शिल्प./2024-25
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 10/01/2025


✓ प्राचार्य,
माउंट लिट्टा जी स्कूल उस्लापुर,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- माउंट लिट्टा जी स्कूल उस्लापुर, जिला बिलासपुर का भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र।
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. MLZS/BLSP/G/2024-25/01/64 दिनांक 06.01.2025।

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माउंट लिट्टा जी स्कूल उस्लापुर, जिला बिलासपुरका भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र आपके संदर्भित आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई है। तदनुसार पत्र में उल्लेखित स्कूल भवन का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट उपसंभाग क्र. 1, बिलासपुर एवं संबंधित उपअभियंता के द्वारा दिनांक 10/01/2025 को किया गया। निरीक्षण उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि उक्त स्कूल भवन आगामी 01 वर्ष (वर्ष 2024-25) के लिए शिक्षण संचालन कार्य हेतु उपयुक्त है।

सहपत्र :- भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न।


कार्यपालन अभियंता,

लोक निर्माण विभाग (भ./स.)


संभाग क्रमांक-2 बिलासपुर (छ.ग.)
10/1/2025
बिलासपुर, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक/ शिल्प./2024-25

प्रतिलिपि :-


अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. हाईकोर्ट उपसंभाग क्र. 1, बिलासपुर की ओर उनके ज्ञाप क्र. 06...../3.12.24/2024-25 दिनांक 10/1/2025 के तारतम्य में सूचनार्थ।


सहपत्र :- शून्य।



कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)
संभाग क्रमांक-2 बिलासपुर (छ.ग.)

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Certified that the MOUNT LITERA ZEE SCHOOL at Uslapur Dist. Bilaspur (C.G.) 495001 owned/occupied by MOUNT LITERA ZEE SCHOOL have complied with the Building bye laws in accordance with rule of State/C.G. and incorporate the provisions of building safety as specified in national building code 2005, 2016 and as amended there after and has been verified by the concerned officer on 10.01.2025 in the presence of Principal and that the said above building /premises is safe and fit for running school with effect from 10th Jan. 2025 for period of up to one year (2024-25) in accordance with rules.


SUB
ENGINEER


SUB DIVISIONAL OFFICER
P.W.D. (B/R) HC SUB DIVISION NO.1
BILASPUR (C.G.)


EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. (B/R) DIVISION NO.2
BILASPUR (C.G.)
P.W.D. (B/R) DIVISION NO.2
Bilaspur (C.G.)